न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—280/2016/223 (2016/00280)

1. श्रीमती पारसी पुत्री हजारी, जाति रेगर, निवासी रामनेर ढाणी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र स्व0 हजारी, जाति रेगर, नि0 रेगरान मौहल्ला, गंगामाता मंदिर के पीछे, सराधना, उप—तह0 सराधना, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती हिरकी पत्नी स्व0 रामकरण, जाति रेगर, नि0 रेगराना मौहल्ला, गंगामाता मंदिर के पीछे, सराधना, उप—तहसील सराधना, जिला अजमेर । **(नाम तर्क)**
3. जगदीश पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र दीना, जाति रेगर, निवासी रेगरान मौहल्ला, गंगामाता मंदिर के पीछे, सराधना, उप—तह0 सराधना, जिला अजमेर ।
4. घनश्याम पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र दीना, जाति रेगर,
5. सुखराज पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र दीना, जाति रेगर,
6. प्रवीध पुत्र स्व0 भंवरलाल पौत्र दीना, जाति रेगर,
7. श्रीमती सावित्री पत्नि स्व0 अशोक पुत्र वधु दीना, जाति रेगर,
8. हरेन्द्र पुत्र स्व0 अशोक पौत्र दीना, जाति रेगर,
9. पवन पुत्र स्व0 अशोक पौत्र दीना, जाति रेगर,
10. परमेश्वर पुत्र स्व0 अशोक पौत्र दीना, जाति रेगर,
11. राजू पुत्र स्व0 अशोक पौत्र दीना, जाति रेगर,
    समस्त निवासी रेगरान मौहल्ला, गंगामाता मंदिर के पीछे, सराधना, उप—तहसील सराधना, जिला अजमेर ।
12. उप पंजीयक द्वितीय, पंजीयन विभाग, अजमेर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 20.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 93/2011.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 7
4. रेस्पो0 संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 से 11 अनुपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 21.1.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) के आदेश दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वादी की बापोती कृषि भूमि है जिसमें वादी भी सहहिस्सेदार है । अपीलाधीन भूमि जिसमें 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा की भूमि वादिया/अपीलांट की बापोती भूमि होने के कारण वादिया को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.6.2016 को वादी/अपीलांट का वाद आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण की तामीली हेतु रजिस्टर्ड पोस्टल पत्र प्रस्तुत कर दिये थे जिसकी असल पोस्टल रसीदे अधी0न्याया0 की पत्रावली पर है जिन्हें अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादिया के द्वारा शेष अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 8, 9, 10 व 11 व 12 की तामीली हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष आदेशानुसार पोस्टल पत्र दिनांक 13.3.2014 को प्रस्तुत कर दिये थे जिसकी आगामी दिनांक 28.4.2014 नियत थी, असल रजिस्टर्ड पोस्टल पत्र की असल रसीदे अधी0न्याया0 की पत्रावली पर प्रस्तुत है। विधि के अनुसार रजिस्टर्ड पोस्टल पत्र की प्राप्ति रसीद 30 दिवस में नहीं आने पर विधि अनुसार तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा पत्रावली पर रजिस्टर्ड पोस्टल पत्र की असल रसीदे होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के अनुसार प्रकरण निरस्त किये जाने में कानूनी त्रुटि की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 26.5.2016 नियत थी इसके पश्चात् प्रकरण को कैम्प सराधना के समक्ष दिनांक 20.6.2016 को रखा गया किन्तु इस संदर्भ में प्रार्थी को सूचना नोटिस नहीं दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती हगामी का नाम भी तर्क किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 को वादपत्र को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।
5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत वाद एवं वाद खारिज किये जाने का प्रावधान है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 19.5.2014 के अनुसार प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के पूर्व आदेशों की पालना नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का वादपत्र आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।
6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा वादी का वाद दौराने कैम्प न्याय आपके द्वारा कैम्प सराधना में आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत दिनांक 19.5.2014 के आदेश की पालना नहीं किये

जाने के कारण खारिज किया है । दिनांक 13.3.2014 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश करने के आदेश दिये गये है । वादी द्वारा दिनांक 13.3.2014 को ही रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस मय तलवाना प्रस्तुत कर दिये गये जो कि अधी0न्याया0 द्व्आरा दिनांक 14.3.2014 को जारी कर दिये गये है जिसका उल्लेख तलवाना पर भी किया हुआ है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये एवं वादी को सुने एवं सूचित किये अविधिक आदेश पारित कर वादी अदम तकमील में खारिज किया है जबकि वादी द्वारा पूर्व में ही अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना की जा चुकी थी । ऐसी स्थिति में वादी/अपीलांट का वाद आदेश नियम 5 जा0दी0 के तहत अदम तकमील में खारिज किये जाने योग्य नहीं था । उपरोक्त विवेचना अनुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से यथावत् नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा वाद संख्या 93/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर